

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग-3)



क्रमांक एफ 1(16) ग्रावि/नरेगा/वार्षिक कार्य योजना-2018-19/2017-18 जयपुर, दिनांक 30 AUG 2017

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गांधी नरेगा,
समस्त राजस्थान।

विषय :- "स्वच्छता पखवाडा दिनांक 01 अक्टूबर, 2017 से 15 अक्टूबर, 2017 तक के तहत महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत की जाने वाली गतिविधियाँ एवं वर्ष 2018-19 की वार्षिक कार्य योजना एवं श्रम बजट तैयार करने बाबत।

प्रसंग :- ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से प्राप्त पत्र दिनांक 17 अगस्त, 2017 एवं 29 अगस्त, 2017।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत महात्मा गांधी नरेगा योजना क्रियान्वयन हेतु जारी मास्टर सकुर्लर 2017-18 के अध्याय 6 में दिये गये प्रावधानानुसार वर्ष 2018-19 हेतु वार्षिक कार्य योजना एवं अनुमानित श्रम बजट तैयार किया जाना है।

श्रम बजट, वार्षिक कार्य योजना का महत्वपूर्ण दस्तावेज है। अतः ग्राम पंचायत में ग्राम सभा में प्रस्ताव प्राप्त कर कार्य योजना का विभिन्न स्तर से अनुमोदन पश्चात ग्राम पंचायतवार ऑनलाईन एन्ट्री पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करावे।

अ. मास्टर सकुर्लर में समयबद्ध वार्षिक कार्य योजना तैयार करने हेतु प्रावधानानुसार निम्नानुसार है।

क्र.सं.	की जाने वाली कार्यवाही	समयावधि
1	ग्राम पंचायत स्तर पर आयोजना प्रक्रिया की शुरुआत तथा ग्राम सभा/वार्ड सभा द्वारा आयोजना प्रक्रिया पर चर्चा	2 अक्टूबर, 2017
2	ग्राम पंचायत स्तरीय वार्षिक कार्य योजना के अनुमोदन के लिए विशेष ग्राम सभा	3 अक्टूबर से 30 नवम्बर, 2017
3	ग्राम पंचायत स्तरीय योजना को ब्लॉक पंचायत में प्रस्तुत करना	5 दिसम्बर, 2017
4	ब्लॉक पंचायत द्वारा ब्लॉक स्तर पर समेकित की गई वार्षिक योजना का अनुमोदन तथा इसे जिला कार्यक्रम समन्वयक को प्रस्तुत करना (ब्लॉक स्तर के लिए प्रस्तावित सभी प्रोजेक्ट सहित समेकित श्रम बजट ब्लॉक पंचायत/मध्यस्तरीय पंचायत से अनुमोदित होना चाहिए)	20 दिसम्बर, 2017
5	जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा जिला पंचायत में वार्षिक कार्य योजना तथा श्रम बजट प्रस्तुत किया जाना (जिले के लिए प्रस्तावित सभी प्रोजेक्ट जिला स्तर पर अनुमोदित होनी चाहिए)	19 जनवरी, 2018
6	जिला पंचायत द्वारा जिला वार्षिक योजना को मंजूरी देना तथा इसे राज्य सरकार को प्रस्तुत करना	20 जनवरी, 2018


ब. उपरोक्त अनुसार वार्षिक कार्य योजना की दिनांक 02 अक्टूबर, 2017 से तैयारी प्रारम्भ की जावेगी। इस क्रम में ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा दिनांक 01 अक्टूबर, 2017 से 15 अक्टूबर, 2017 तक स्वच्छता पखवाडा आयोजित किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य ग्राम सभा में ग्रामवासियों की सक्रिय भागीदारी एवं उनके सम्पूर्ण विकास हेतु वार्षिक कार्य योजना 2018-19 तैयार करना है। दिनांक 02 एवं 11 अक्टूबर, 2017 को आयोजित ग्राम सभा में महात्मा गांधी नरेगा से संबंधित कार्य योजना की तैयारी हेतु निम्न बिन्दुओं पर आवश्यक रूप से चर्चा की जावे :-

- 1 गत वर्ष जिन श्रमिकों ने कार्य किया है उनका विवरण (दिवस/भुगतान राशि)। (ग्राम सभा में पढ़कर सुनाया जावे)
- 2 गत वर्ष कराये गये कार्यों का विवरण मय कार्य पर श्रम, सामग्री मद का व्यय एवं सृजित मानव दिवस व कार्य से प्राप्त परिणाम (Out come)। (ग्राम सभा में पढ़कर सुनाया जावे)
- 3 अपूर्ण कार्यों की समीक्षा व पूर्ण कराने की योजना।
- 4 Shelf of Project
- 5 Job Card का सत्यापन एवं अद्यतन (Updation)

- 6 कार्यस्थल बोर्ड एवं सूचना बोर्ड।
 - 7 सामाजिक अंकेक्षण हेतु वी.आर.पी. के लिए कम से कम 3 SHG महिलाओं का चयन।
 - 8 जल संरक्षण एवं प्राकृतिक संसाधन प्रबन्धन की जानकारी।
 - 9 स्वच्छता हेतु Soak pit एवं Waste management हेतु Vermi/Nadep Compost pit की जानकारी।
 - 10 वर्ष 2018-19 हेतु कार्य योजना की रूपरेखा।
 - 11 "Water Mission" अन्तर्गत चयन किये क्षेत्र की जानकारी एवं चर्चा।
 - 12 रोजगार दिवस की जानकारी।
 - 13 "Janmanrega" application की जानकारी।
 - 14 वर्ष 2017-18 में पूर्ण हुए कार्यों की Geotagging
 - 15 आधार बेस्ट पेमेंट सिस्टम
 - 16 बकाया भुगतान यदि कोई है पर चर्चा एवं सूचीबद्ध किया जाना।
 - 17 व्यक्तिगत लाभ के कार्य।
 - 18 SECC, Casual labour की मैपिंग।
 - 19 रिकॉर्ड संधारण (7 रजिस्ट्रों) व सत्यापन एवं प्रमाण पत्र प्रत्येक ग्राम पंचायत से।
 - 20 प्रोजेक्ट लाईफ में चयनित लाभार्थियों के प्रशिक्षण पर चर्चा।
 - 21 SHGs महिला मेट पैनल का अनुमोदन।
- स. वार्षिक कार्य योजना तैयार करते समय निम्न बिन्दुओं को आवश्यक रूप से ध्यान में रखा जावे।
- 1 व्यक्तिगत लाभ के कार्यों में व्यक्तिगत भूमि पर एनआरएम गतिविधियों, कृषि एवं उनसे संबंधित गतिविधियों तथा आजीविका संबंधित गतिविधियां
 - 2 जिला सिंचाई योजना
 - 3 श्रम सामग्री अनुपात
 - 4 SHGs, CFT एवं CBOs की भागीदारी
 - 5 भूमिहीन एवं manual casual labour परिवार को प्राथमिकता।
- द. वार्षिक कार्य योजना 2018-19 तैयार करने हेतु ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रेषित दिशा-निर्देश परिशिष्ट - 'अ' पर संलग्न है। उक्त दिशा-निर्देश के परिशिष्ट - 'अ' पर उपलब्ध पुस्तिका प्रारूप में श्रम बजट संबंधी सूचना ग्राम पंचायत स्तर पर तैयार कराते हुए ग्राम पंचायत की वार्षिक कार्य योजना ग्राम सभा से अनुमोदन करावें। तत्पश्चात पंचायत समिति स्तर पर संकलित की जाकर पंचायत समिति की वार्षिक कार्य योजना पंचायत समिति की साधारण सभा से अनुमोदित करावें। जिला स्तर पर समस्त पंचायत समितियों की सूचना संकलित कर उक्त पुस्तिका प्रारूप में तैयार करते हुए वार्षिक कार्य योजना का अनुमोदन करवाया जावे तथा जिला स्तर से अनुमोदन पश्चात उक्त पुस्तिका प्रारूप में सूचना संकलित कर दिनांक 31 जनवरी, 2018 तक राज्य स्तर पर सॉफ्ट कॉपी में भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें। साथ ही निर्धारित प्रपत्र में माहवार श्रम बजट तैयार कर महात्मा गांधी नरेगा एमआईएस पर अपलोड किया जावे।
- य. श्रम बजट के संबंध में जिला स्तर से परिशिष्ट 'ब' पर उपलब्ध प्रारूप में सर्टिफिकेट जारी किया जाना सुनिश्चित करावें

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

भवदीय,


(रोहित कुमार)

शासन सचिव एवं आयुक्त, ईजीएस

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1 निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, ईजीएस।
- 2 अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, समस्त राजस्थान।
- 3 रक्षित पत्रावली।

परि० निदे एवं संयुक्त शासन सचिव, ईजीएस

No. G- 31011/10/2016 – MGNREGA -V
 Government of India
 Ministry of Rural Development
 Department of Rural Development

Krishi Bhavan, New Delhi
 Dated 17th August, 2016

To,

The Additional Chief Secretary/ Principal Secretary/ Secretary/ Commissioner
 Rural Development Department/ Panchayati Raj Department (In charge MGNREGA)
 All States/ UTs

Sub: Guidelines/ framework for "Planning for Works and preparation of Labour Budget" under the Mahatma Gandhi NREGA for the FY 2018-19.

Madam/ Sir,

Sub section 6 of section 14 of the MGNREG Act 2005, directs that the District Programme Coordinator (DPC) under MGNREGA shall prepare, in the month of December every year, a Labour Budget (LB) for the next financial year containing the details of the anticipated demand for unskilled manual work in the district and the plan for identification for need based works and engagement of workers in the works covered under the program.

2. Section 16(1) mandates that the Gram Panchayat shall be responsible for identification of the projects in the Gram Panchayat area to be taken up under a Scheme as per the recommendations of the Gram Sabha and the Ward Sabha, and for executing and supervising such works. The para 7 of Schedule I of the Act further stipulates that there shall be a systematic, participatory planning exercise at each tier of Panchayat, as per detailed methodology laid down. All works, to be executed by Gram Panchayats shall be identified and placed before the Gram Sabha, and such works which are to be executed by the intermediate Panchayats or other implementing agencies shall be placed before the intermediate or District Panchayats, along with the expected outcomes. Chapter 6 of the Annual Master Circular 2017-18 reiterates and details the procedure to be followed for the planning of works and preparation of LB.

3. The States/ UTs are required to take up a time bound participatory planning exercise followed with other relevant activities to ensure timely preparation of a realistic Labour Budget that may be pragmatically considered by the Empowered Committee of the Ministry as per the following suggested timeline viz.

Action to be Taken	Time
Launch of Gram Panchayat level planning process and discussion of the planning process by Gram Sabha/Ward Sabha.	2 nd October
Special Gram Sabha for approval of the Gram Panchayat level annual action plan.	3 rd October to 30 th November
Submission of Gram Panchayat Level Plan to the Block Panchayat	By 5 th December

BW
 17/8

